आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-12/2018-19

राज्य

बनाम्

श्रीमती कुशमा देवी, जौ0-युगल किशोर सहनी एवं अन्य

आदेश

09.X.18

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 01 (मु0) दिनांक- 06.09.2018 द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण 12/2018-19 राज्य बनाम् श्रीमती कुशमा देवी एवं अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबंदी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी, सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-खेमनारायणपुर, तौजी नं0-510/1, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0 क्रमशः 86, 5/53, 4/42, 7/45, 1/39, 89, 7/54 एवं 94 पर श्रीमती कुशमा देवी जौ0-युगल किशोर सहनी, सा0-चौखण्डी एवं 07 (सात) अन्य का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद को दिनांक- 08.9.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्त्ता को नोटिस इस आशय से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दिनांक-28.09.2018 को मौखिक बहस किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह विदित कराया गया कि गर्भ वाली भूमि सरकार की होती है और गंगा के गर्भ में रहने के कारण उस जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत् टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है।

प्रस्तुत वाद से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी वनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का स्वत्व एवं दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमाबंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैद्य नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादो में राज्य सरकार पक्षकार नहीं है। इसलिए उक्त वादो का निर्णय राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कब्जा को बाधित नहीं करता है। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत जमाबंदी सृजन के बगैर है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी वर्षों पहले सृजित की गई है एवं लगान रसीद निर्गत है। इसी के आलोक में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जमाबंदीधारी (प्रतिवादी) की सृजित जमाबंदी रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए है वह उनके दावे एवं स्वत्व का समर्थन नहीं करता है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित भूमि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत एवं लगान रसीद भी निर्गत है और इसका म्युनिसिपल सर्वे वर्ष 1917 में हुआ है। इसके प्रतिउत्तर में विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रस्तावित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ है और म्युनिसिपल सर्वे से सरकार के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है चूँकि यह भूमि टोपो है।

उक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मुंगेर द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि की चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। निदेशक भू-अर्जन, बिहार पटना के पत्रांक-652/रा0 दिनांक 8.6.2018 द्वारा प्राप्त पत्र में वर्णित है कि टोपो लैंड/असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व/अधिकार नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही भारत राजपत्र सं0-1215, दिनांक 18.5.2016 में यह अंकित है कि उक्त मौजा की जमीन कृषि टोपो लैंड है। उक्त जमाबंदी रैयत (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित वांछित कागजात यथा केबाला की छायाप्रति राजस्व रसीद की छायाप्रति तथा अन्य कागजात समर्पित किया है जो कि अभिलेखबद्ध है।

जहाँ तक विपक्षियों द्वारा केबाला प्रस्तुत करने का सवाल है, इस संदर्भ में यह कहना है कि निबंधन कार्लय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। इस प्रकार यदि कोई दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था ओर न ही नियमानुकुल ही था, जो खारिज होने योग्य है। इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विपक्षियों ने प्रस्तावित भूमि से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं जमाबंदी के सृजन से संबंधित वैधानिक तौर पर दाखिल-खारिज वाद संख्या एवं पारित आदेश के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के अनुशंसा के आधार पर तथा निदेशक, भू-अर्जन के पत्रांक 652/रा0, दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में एवं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मोजा-खेमनारायणपुर, तौजी नं0-510/1, खाता+खेसरा-टोपो, से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत् रद्द की जाती है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

जमीन का ब्यौराः-

क्र0 सं0	मौजा	तौजी नं0	ज्माबंदी रैयत का नाम	खाता + खेसरा	रकवा बी0-क0-धू0	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	खेमनारायणपुर	510/1	कुशमा देवी, जौ0-युगल किशोर सहनी, सा0-चौखण्डी	टोपो	0-0-14	86
2	खेमनारायणपुर	510/1	युगल किशोर सहनी, पे0-नोखे सहनी, सा0-चौखण्डी	टोपो	0-0-10	5/53
3	खेमनारायणपुर	510/1	चन्दू सहनी, पे0-छत्तर सहनी, सा0-चौखण्डी वो किशुन सहनी, वो दामोदर सहनी, वो जयन्ती देवी	टोपो	0-2-0	4/42
4	खेमनारायणपुर	510/1	चन्दू सहनी, पे0-छत्तर सहनी, सा0-चौखण्डी, वो किशुन सहनी, वो दामोदर सहनी, वो जयन्ती देवी	टोपो	0-3-15	7/45
5	खेमनारायणपुर	510/1	बसु महतो, किसुन महतो, रघुनन्दन महतो, पे0-भूपाल महतो, सा0-चौखण्डी, वो पंकज यादव वगैरह वो मनोज यादव वो कृतनन्दन यादव वगैरह, भूनेश्वर यादव वगैरह वो निगुन यादव	टोपो	0-14-0	1/39

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

6	खेमनारायणपुर	510/1	हरदेव यादव, पे0-रघुनन्दन यादव, सा0-चौखण्डी वो पंकज यादव वगैरह	टोपो	0-1-0	89
7	खेमनारायणपुर	510/1	गया देवी, जौ0 बदी सहनी, सा0-चौखण्डी वो बबलू सहनी	टोपो	0-0-5	7/54
8	खेमनारायणपुर	510/1	सुनीता देवी, जौ0-चन्द्रशेखर सहनी, सा0-चौखण्डी	टोपो	0-1-0	94

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

09/X/18
अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।